छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल– **secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063**

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/11/2022

क्रमांक/60/01/04/योजना/बीओसी/2022/123 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व जारी श्रम विभागीय पत्र क्रमांक **44/अ.मु.स./श्रम/2015(S)/87 दिनांक 08.06.2015** एवं **अधिसूचना** क्रमांक **23 दिनांक 06.12.2012 (स्वावंलबन पेंशन योजना)** द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित **"अटल पेंशन योजना"** को वर्तमान में संचालित **"प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना"** के संचालन के परिपालन में छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 16 वीं बैठक दिनांक 04.08.2022 में लिए गए निर्णय के परिपालन में **"अटल पेंशन योजना"** इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

07/11/2022

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्रमांक/60/01/04/योजना/बीओसी/2022/4667-4682 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/11/22

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ, सेक्टर–24, अटल नगर नवा रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
4. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
5. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
6. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।

निरंतर.........................2

7. समस्त जिला–कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
10. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
13. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

7/11/2022

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग

महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र0/44/अ.मु. स./श्रम/2015 (S) नया रायपुर, दिनांक 08-06-15

प्रति,

कलेक्टर
जिला-..................................

विषय :- अटल पेंशन योजना के कियान्वयन बाबत् ।

विषयांतर्गत भारत सरकार द्वारा 18 से 40 वर्ष आयु समूह के लिए अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दु शामिल किया गया है –

01 अटल पेंशन योजना प्रत्येक हितग्राही रुपये 1000 से 5000 तक मासिक पेंशन हितग्राही के अंशदान के अनुपात में मिलेगा । (अंशदान आधारित पेंशन की सारणी परिशिष्ट–एक में संलग्न है।)

02 हितग्राही को न्यूनतम पेंशन की गारण्टी सरकार द्वारा दी गई है।

03 इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा हितग्राही के अंशदान का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 1000 जो भी कम हो का भुगतान 05 वर्ष तक 01 जून 2015 के पश्चात् किया जावेगा ।

04 प्रत्येक बैंक खाताधारी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

05 योजना में शामिल होने पर आधार प्राथमिक KYC होगा । अतः योजना में शामिल होने के लिए हितग्राही का आधार एवं मोबाईल नं. योजना के सरल संचालन के लिए आवश्यक होगा।

06 यदि कोई हितग्राही लगातार छःमाह तक अंशदान जमा नहीं करता है तो उसका खाता फ्रीज कर दिया जावेगा, 12 माह तक अंशदान जमा नहीं करने पर खाता निष्क्रिय किया जावेगा तथा 24 माह तक अंशदान जमा नहीं करने पर हितग्राही का खाता बंद कर दिया जावेगा ।

07 यह योजना हितग्राही द्वारा 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है।

08 हितग्राही एवं उनके आश्रित की मृत्यु की दशा में हितग्राही के पेंशन खाते में जमा राशि उसके नामित को प्रदाय किया जावेगा।

09 हितग्राही को पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद भी दिया जावेगा । कोई भी हितग्राही 60 वर्ष की आयु के पूर्व योजना से बाहर मृत्यु की दशा को छोड़कर नहीं जा सकता ।

अतः आपके जिले में पंजीकृत समस्त निर्माण मजदूर एवं असंगठित मजदूरों में इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर उन्हें इस योजना में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करने का कष्ट करें।

(एम0के0 राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक / अ.मु.सचिव / 2015/45/3/ नया, रायपुरदिनांक..........

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, छ0ग0भवन एवं अन्य सनिर्माण, कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर।
2. नोडल अधिकारी छ0ग0 अं.क.रा.सा.सु. मण्डल, रायपुर ।
3. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रमपदाधिकारी छ0ग0 की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों को अटल पेंशन योजना में शामिल होने हेतु प्रोत्साहित करें। स्वावलम्बन पेंशन योजना में पूर्व से ही सम्मिलित श्रमिकों में से 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अतः उन्हें भी अटल पेंशन योजना में शामिल करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 06/12/12

क्रमांक – 23 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 मे दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना" होगा।

(ii) यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु पेंशन योजना है. जिसका लाभ 18 से 60 वर्ष तक जमा रकम से मिलने वाली पेंशन के रूप में होगा। यदि किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पेंशन प्रारंभ होने से पहले हो जाती है, तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को फंड की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। यदि नामित व्यक्ति चाहे तो वह पेंशन भी ले सकता है।

(iii) योजना में हितग्राही का न्यूनतम अंशदान रू0 1,000/– एव अधिकतम अंशदान रूपये 12,000/– एक वर्ष में देय होगा। हितग्राही किसी भी समयावधि में अपना अंशदान जमा कर सकता है। हितग्राही अपने अंशदान की राशि को अपनी बचत अनुसार बढ़ा सकता है।

(iv) "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना" 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक साथ प्रभावशील किया जावेगा।

(v) "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना" के तहत प्रतिवर्ष रूपये 1,000/– पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रांश राशि के

रूप में जमा किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष हितग्राही का न्यूनतम अंशदान रूपये 1,000/– एवं रूपये 1,000/– मंडल द्वारा प्रदाय किया जावेगा।

(vi) "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना" के प्रावधान के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूर्ण करनेवाला हितग्राही जमा राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त प्राप्त कर सकता है एवं बकाया 40 प्रतिशत पेंशन के रूप में अदायगी होगी। 50 वर्ष की आयु से पूर्व भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना से पेंशन ले सकता है। उस स्थिति में 80 प्रतिशत राशि का प्रयोग पेंशन देने के रूप में किया जायेगा, बशर्ते पेंशन राशि न्यूनतम रूपये 1,000/– प्रतिमाह हो।

(vii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगें।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

(ii) मण्डल द्वारा 18 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को योजना में शामिल किया जावेगा।

(iii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

(ii) दो रंगीन फोटो (पासपोर्ट साईज) फोटो पहचान पत्र, निवास तथा आयु प्रमाण पत्र।

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन कमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iv) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम

पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :–**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) **योजना का कियान्वयन–**

(i) योजना के कियान्वयन हेतु पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत संस्थाओं को Aggregator/Facilitator नियुक्त किया जा सकेगा।

(फ) **विसंगति का निराकरण–**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

0क0 / / 5560-5597 रायपुर, दिनांक 7/12/12

तिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)

7. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

8. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)

9. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ0ग0)

10. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ0ग0)

11. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 14-09-2012

कमांक एफ 11-8/2012/16 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) **योजना का प्रावधान :–**

(i) योजना का नाम **"मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना"** होगा।

(ii) यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु पेंशन योजना है, जिसका लाभ 18 से 55 वर्ष तक जमा रकम से मिलने वाली पेंशन के रूप में होगा। यदि किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पेंशन प्रारंभ होने से पहले हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को फंड की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जायेगा। यदि नामित व्यक्ति चाहे तो वह पेंशन भी ले सकता है।

(iii) योजना में हितग्राही का न्यूनतम अंशदान रू0 200/– है। हितग्राही किसी भी समयावधि से अपना अंशदान जमा कर सकता है। हितग्राही अपने अंशदान की राशि को अपनी बचत के अनुसार बढ़ा सकता है।

(iv) "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेशन योजना" पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के लिए तीन स्तर में प्रभावशील की जावेगी–

–प्रथम चरण में वर्ष 2012–13 में 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए,

–द्वितीय चरण में वर्ष 2013–14 में 35 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए,

–तृतीय चरण में वर्ष 2014–15 से आगे तक 18 वर्ष से 55 वर्ष के समस्त हितग्राहियों के लिये,

(v) "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेशन योजना" के तहत् प्रतिवर्ष रूपये 1,000/– पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रांश राशि के रूप में जमा किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष हितग्राही के लिए न्यूनतम अंशदान रूपये 1,000/– मे से रूपये 800/– मण्डल द्वारा प्रदाय किया जावेगा एवं रूपये 200/– हितग्राही से संकलित किया जावेगा।

(vi) "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेशन योजना" के प्रावधान के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला हितग्राही जमा राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त प्राप्त कर सकता है एवं बकाया 40 प्रतिशत पेंशन के रूप में अदायगी होगी। 50 वर्ष की आयु से पूर्व भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना से पेंशन ले सकता है। उस स्थिति में 80 प्रतिशत राशि का प्रयोग पेंशन देने के रूप में किया जायेगा, बशर्ते पेंशन राशि न्यनूतम रूपये 1,000/– प्रतिमाह हो।

(vii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगें।

(ब) **योजना हेतु पात्रता :–**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।

(ii) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा उपरोक्त अ (vi) में दर्शाये अनुसार तीन चरणों में यह योजना लागू की जायेगी।

(iii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रकिया**

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा।

(ii) दो रंगीन फोटो (पासपोर्ट साईज) फोटो पहचान पत्र, निवास तथा आयु प्रमाण पत्र।

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iv) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :–**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा।

(ई) **योजना का कियान्वयन–**

(i) योजना का क्रियान्वयन हेतु छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा चयनित एग्रीगेटर के माध्यम से किया जावेगा।

विसंगति का निराकरण–

(i) योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी0 आर0 मालवीय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन क्र० एफ 11-8/2012/16 रायपुर, दिनांक 14-09-2012

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ०ग०)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....(छ०ग०)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....(छ०ग०)
9. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग